

शासनादेश संख्या-1347/XXVIII(1)/2013-16(Para)/2007 T.C. दिनांक 01

जुलाई, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में संचालित राजकीय एवं निजी नर्सिंग संस्थानों में पाठ्यक्रम आरम्भ करने एवं सीट वृद्धि हेतु आवेदन किये जाने हेतु समय-सारणी :-

क्र० सं०	विवरण	प्रथम चक्र	द्वितीय चक्र
		01 जनवरी से 30 जून तक प्रस्तावित तिथियां/शुल्क	01 जुलाई से 15 नवम्बर तक प्रस्तावित तिथियां/शुल्क
1	आवेदन प्रपत्र प्राप्त एवं जमा करने का कार्यालय	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2	आवेदन प्रपत्र शुल्क प्रतिकोर्स	₹ 1,000/- (राजकीय संस्थान इस श्रेणी में नहीं आते)	₹ 1,000/- (राजकीय संस्थान इस श्रेणी में नहीं आते)
3	निरीक्षण शुल्क प्रति कोर्स (आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा)	₹ 25,000/- (राजकीय संस्थान इस श्रेणी में नहीं आते)	₹ 25,000/- (राजकीय संस्थान इस श्रेणी में नहीं आते)
4	आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	01 जनवरी से 31 जनवरी तक	01 जून से 30 जून तक
5	पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	15 मार्च	15 जुलाई
6	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय/ महानिदेशालय, उत्तराखण्ड स्तर से निरीक्षण रिपोर्ट सुस्पष्ट आख्या सहित तैयार कर शासन को प्रेषित किये जाने की अन्तिम तिथि।	30 अप्रैल	30 अगस्त
7	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित उप समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना।	मई	सितम्बर
8	उप समिति की बैठक के पश्चात् प्रस्ताव इम्पावर्ड कमेटी को प्रस्तुत किया जाना।	जून	अक्टूबर
9	भारतीय नर्सिंग परिषद को अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अन्तिम तिथि।	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 अगस्त से 30 नवम्बर</li> <li>विलम्ब शुल्क सहित दिनांक 27 दिसम्बर (4:00 PM) (आई0एन0सी0 के पत्र दिनांक 29.05.2013 के अनुसार)</li> </ul>	

शासनादेश संख्या-1347/XXVIII(1)/2013-16(Para)/2007 T.C. दिनांक 01 जुलाई, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में संचालित राजकीय एवं निजी पैरामेडिकल संस्थानों में पाठ्यक्रम आरम्भ करने एवं सीट वृद्धि हेतु आवेदन किये जाने हेतु समय-सारणी :-

क्र० सं०	विवरण	प्रथम चक्र	द्वितीय चक्र
		01 जनवरी से 30 जून तक प्रस्तावित तिथियां/शुल्क	01 जुलाई से 15 नवम्बर तक प्रस्तावित तिथियां/शुल्क
1	आवेदन प्रपत्र प्राप्त एवं जमा करने का कार्यालय	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2	आवेदन प्रपत्र शुल्क प्रतिकोर्स	₹0 1,000/- (राजकीय संस्थान इस श्रेणी में नहीं आते)	₹0 1,000/- (राजकीय संस्थान इस श्रेणी में नहीं आते)
3	निरीक्षण शुल्क प्रति कोर्स (आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा)	₹0 25,000/- (राजकीय संस्थान इस श्रेणी में नहीं आते)	₹0 25,000/- (राजकीय संस्थान इस श्रेणी में नहीं आते)
4	आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	01 जनवरी से 15 फरवरी तक	01 जुलाई से 30 जुलाई तक
5	पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	28 फरवरी	30 अगस्त
6	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय/ महानिदेशालय, उत्तराखण्ड स्तर से निरीक्षण रिपोर्ट सुस्पष्ट आख्या सहित तैयार कर शासन को प्रेषित किये जाने की अन्तिम तिथि।	30 अप्रैल	15 अक्टूबर
7	चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा ईम्पावर्ड कमेटी को अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव भेजने की अन्तिम तिथि।	मई	अक्टूबर-नवम्बर
8	उत्तराखण्ड शासन द्वारा ईम्पावर्ड कमेटी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने की अन्तिम तिथि।	30 जून तक	31 दिसम्बर तक